कार्यालयः राँची नगर निगम, राँची।

(परिवहन कोषांग)
कचहरी रोड, रांची, पिन – 834001
e-mail :- support@ranchimunicipal.com

पत्रांकः 47/Trans.

दिनांक 08/02/2021

अति अल्पकालीन निविदा सूचना
इच्छा की अभिव्यक्ति (Expression of Interest)

एतद् द्वारा सर्वसाधारण व्यक्ति/फर्म से राँची नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत नगर बसों का परिचालन एवं रख–रखाव हेतु इच्छा की अभिव्यक्ति आमंत्रित की जाती है। इच्छुक व्यक्ति/फर्म एक मुहरबन्द लिफाफे में नियम–शर्त्तो के अनुरूप तकनीकी एवं वित्तीय प्रस्ताव राँची नगर निगम, राँची के परिवहन कोषांग में जमा कराना सुनिश्चित करेंगें।

निविदा प्रकाशन की तिथि : दिनांक 10/02/2021

Pre Bid Meeting : दिनांक 17/02/2021 अपराह्न 03.00 बजे।

निविदा प्राप्त करने की अन्तिम तिथिः दिनांक 22/02/2021 अपराह्न 03.00 बजे तक

निविदा खोलने की तिथि : दिनांक 23/02/2021 पूर्वाह्न 3 बजे या उसके बाद इच्छुक संवेदक या उनके अधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थिति में कार्यालय राँची नगर निगम में निविदा समिति के समक्ष खोला जाएगा। तकनीकी रूप से सफल होने पर ही वित्तीय प्रस्ताव को खोला जाएगा तथा उक्त कार्य का आवंटन निगम द्वारा निर्धारित परिचालन शर्त्तो पर अधिकतम दर दाता को दिया जाएगा।

नोटः– विस्तृत शर्त्त एवं जानकारी के लिए किसी भी कार्य दिवस में राँची नगर निगम, राँची के परिवहन कोषांग से सम्पर्क किया जा सकता है एवं कार्यालय के सूचनापट्ट एवं निगम के वेबसाईट www.ranchimunicipal.com पर देखा जा सकता है।

Sd/- 8/2/2021

उप नगर आयुक्त,
राँची नगर निगम, राँची।

अहर्त्ता एवं शर्त्ते

1. राँची नगर निगम, राँची के स्वामित्व वाली कुल 30 या उससे अधिक बसों का चयनित संवेदक को राँची नगर निगम द्वारा चयनित रूट पर परिचालन कराना होगा।
2. निविदा के साथ अग्रधन की राशि रू0 1,00,000/– (रूपया एक लाख) बैंक ड्राफ्ट के रूप में जमा करना अनिवार्य होगा। जो Refundable होगा। बैंक ड्राफ्ट Municipal Commissioner, Ranchi Municipal Corporation, Ranchi के पक्ष में भुगतेय होगा।
3. आवेदन के माध्यम से निगम के परिवहन कोषांग से रू0 5,000/– (रूपया पाँच हजार) RMC Cash Receipt के माध्यम से भुगतान कर उक्त कार्य हेतु निर्धारित नियम/शर्त्तों के दस्तावेज प्राप्त करना होगा जो Non-Refundable होगा तथा इसके अतिरिक्त किसी और माध्यम से भुगतान स्वीकार्य नहीं होगा। उक्त Cash Receipt को तकनीकी लिफाफे में संलग्न करना होगा।
4. इच्छुक संवेदक को झारखण्ड अन्तर्गत किसी शहरी क्षेत्र के अन्दर नगर बस या ग्रामीण क्षेत्र से शहर के अन्दर के क्षेत्र में कम से कम 04 नगर बस (सरकारी या प्राइवेट) चलाने का कम से कम 03 वर्षो का अनुभव होना अनिवार्य होगा। अनुभव प्रमाण पत्र के रूप में RTA द्वारा निर्गत बस सेवा का परमिट या कोई सरकारी आदेश या सरकारी संस्थान से निर्गत अनुभव प्रमाण पत्र देना होगा।
5. इच्छुक संवेदक को वित्तीय वर्ष 2018–19 एवं 2019–20 का I.T.R. देना अनिवार्य होगा।
6. इच्छुक संवेदक को PAN Card की कॉपी देना अनिवार्य होगा।
7. इच्छुक संवेदक को भारत सरकार, राज्य सरकार, PSU तथा अन्य किसी भी सरकारी संस्थान से Blacklist या Debar नहीं किया गया है एवं एतद्संबंधी स्वयं शपथ–पत्र के माध्यम से Non-Blacklisting Certificate समर्पित्त करना अनिवार्य होगा।
8. इच्छुक संवेदक को कम से कम 30 चालक एवं संवाहको का Written Consent DL (LMV(T)/HMV) के साथ **परिशिष्ट 'क'** के रूप में संलग्न करना अनिवार्य होगा।
9. किसी भी प्रस्ताव को बिना बताये रद्द अथवा समान दर पाये जाने की स्थिति में एक या एक से अधिक इच्छुक संवेदक को कार्यादेश विभाजित करने का अधिकार अद्योहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित रहेगा।

वित्तीय प्रस्ताव का प्रारूप निम्नवत् हैः—

Sl. No.	Particulars	Minimum fixed Bus premium per day per bus	Your quote of bus premium per day per bus
		Rs.	Rs.
1.	Swaraj Mazda Bus Capacity (24+1) Seats and (29+1) Seats white colour	151/- (Rupees one hundred fifty one)	
2.	Tata Midi Bus Capacity (29+1) Seats Red Colour	251/- (Rupees two hundred fifty one)	

Signature

Name and seal of Bidder

नगर बस परिचालन के शर्त्त / नियमः—

- राँची नगर निगम द्वारा हस्तगत की जाने वाली सभी बसों का परिचालन अनिवार्य रूप से करना होगा। परिचालन नहीं होने की स्थिति में भी तय Premium राशि जमा करना होगा। बस में तकनीकी खराबी होने तथा अन्य अपरिहार्य कारणों से बस का परिचालन नहीं होने की स्थिति में परिवहन कोषांग में कार्यरत कनीय अभियंता (यांत्रिकी) एवं सहायक अभियंता (यांत्रिकी) द्वारा सत्यापित किये जाने पर Premium राशि में छुट देने का अधिकार नगर आयुक्त के पास सुरक्षित होगा।

- हस्तगत बसों का तय राशि Premium राशि अग्रिम जमा करना होगा। यह अग्रिम राशि प्रतिमाह के 5 तारीख तक जमा करना अनिवार्य होगा। अग्रिम राशि जमा न होने की स्थिति में एकरारनामा रद्द करने का अधिकार नगर आयुक्त के पास सुरक्षित होगा।

- चयनित संवेदक को Local Law एवं Traffic के नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। नियमों के उल्लंघन पर सारी जिम्मेदारी चयनित संवेदक की होगी।

- बसों के संचालन में लगने वाले ड्राईवर एवं संवाहक का चयन एवं संपोषण की जिम्मेदारी चयनित संवेदक की होगी।

- ईंजन में आये बड़ी खराबी, टायर ट्यूब एवं बैट्री को छोड़कर सभी तरह की मरम्मती चयनित संवेदक को करनी होगी।

- प्रतिदिन परिचालन में लगने वाले खर्च जैसे— चालक एवं संवाहक का वेतन, नियमित रूप से ससमय सर्विसिंग, ईंधन खर्च, Lubricants (Branded Company) का खर्च, टॉल टैक्स, Penalty and Fines का वहन चयनित संवेदक को करना होगा।

- बस का भाड़ा एवं रूट निगम द्वारा तय किया जाएगा एवं उसी भाड़ा को लेने एवं उसके बदले टिकट देना अनिवार्य होगा।

- प्रतिदिन संध्या को बस परिचालन समाप्ति के बाद निगम द्वारा दिये गए स्थान पर ही बसों को लगाना होगा तथा वहाँ पर्याप्त संख्या में बसों की सुरक्षा हेतु सुरक्षाकर्मी अपने खर्च पर रखना होगा। किसी प्रकार की क्षति होने की जिम्मेदारी संवेदक की होगी।

- कार्य पर रखे गए चालक एवं संवाहक या कोई अन्य कर्मी के संदर्भ में Labour Law का अनुपालन सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी संवेदक की होगी।

- Covid-19 के दौरान बसो का परिचालन सरकार द्वारा प्राप्त दिशा–निर्देशों का अनुपालन करते हुए कराना अनिवार्य होगा। अगर औचक निरीक्षण के दौरान किसी भी दिशा–निर्देश का उल्लंघन पाया जाता है तो तत्काल प्रभाव से एकरारनामा रद्द करते हुए संवेदक पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

- चयनित संवेदक को राँची नगर निगम, राँची के साथ निविदा में दिए गये शर्त्तो के साथ एकरारनामा करना होगा।

- एकरारनामा की अवधि Performance के आधार पर दो वर्षो के लिए अथवा राज्य सरकार द्वारा प्राप्त आवश्यक दिशा–निर्देश तक रहेगी।

- एकरारनामा की समाप्ति उपरान्त राँची नगर निगम द्वारा उपलब्ध कराये गये बसों को संवेदक द्वारा कार्यशील स्थिति में सुपुर्द्ध करना होगा।

- बसों में होने वाली खराबी/क्षति अथवा नियम का उल्लंघन करने पर शास्ति राशि वसूली जाएगी जो निम्नवत् हैः–

Sl No	Details	Fine (Rs.)
Vehicle related breaches – Applied per bus per day		
	Defective or malfunctioning headlights, rear lights, brake light, turning indicators and parking lights at the time of bus operations	500
	Dirty vehicle, inside or outside, at the time of start of first shift in the morning	500
	Broken/damaged windows, fixed glass, front windshield or rear windshield	500
	Fire extinguisher missing or beyond expiry date	500
	Malfunctioning passenger door	500
	Broken/loose/missing passenger seat	500
	Loose handrails, roof grab rails and/or with Sharp edges	500
	Visible dents on the bus exterior	1000
	Malfunctioning/broken light in the passenger compartment	1000
	Placing any decorative article/religious figure or symbol inside or outside the bus	1000
	Placing any poster/advertisement stickers or similar items inside or outside the bus which may or may not generate any revenue for the Service Provider unless authorized by RMC	1000
	Modification of the design or paintwork of the exterior or interior of the bus without the authorization of RMC	1000
	Missing bus body panels on the exterior/interior of the bus	5000
	Damage to the vehicle location unit or fare collection and validation equipment installed by RMC or its agents on the bus	5000
Bus operations: Applied per breach		
	Delay of more than 20 min beyond the end of shift.	500
	Arriving for a shift more than 10 min late than as given in Operating Plan for a given route for a given bus	500
	Driver not responding to more than 3 consecutive directions sent by RMC Control Centre	500
	Stopping at Bus Stop for longer than authorized by RMC	500
	Letting passengers access bus at locations other than Bus Station and Terminals or as designated by RMC	500
	Not stopping at Station designated as per Operating Plan unless authorized by RMC	1000
	Stopping at Station not designated as per Operating Plan unless authorized by RMC	1000
	Changing bus route without authorization of RMC	1000
	Operating bus with defective/broken headlights, rear lights, brake lights, turning indicators, parking lights	1000
	Use of unauthorized electronic equipment such as radios or music players strictly prohibited.	1000

Sl No	Details	Fine (Rs.)
	Use of mobile phone by Driver while driving	1000
	Driver not wearing clean uniform.	1000
	Misbehavior by driver with RMC officials	1000
	Drive above speed limit set by RMC	1000
	Incorrect docking of Bus at a Bus Terminal platform more than 5 times in a day	1000
	Cause accident due to irresponsible driving	5000
	Driver in drunken state	5000
	Causing minor damage to Bus Station, Bus Terminal or other infrastructure	5000
	Abandoning bus during operating hours	5000
	Unauthorized driver driving bus	5000
	Not issuing ticket to passengers	1000
	Overcharging from passengers	1000
	GPS Tempering/GPS Not working	1000

8/11/2021

परिशिष्ट 'क'

इच्छुक संवेदक के लेटर पेड पर

A.

क्रम	चालक का नाम	ड्राईविंग लाईसेंस सं0	ड्राईविंग लाईसेंस वैद्यता (LMV-T or HMV)	ड्राईविंग लाईसेंस की वैद्यता (हाँ / नहीं)	चालक का हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6

B.

क्रम	संवाहक का नाम	आधार / वोटर आई.डी. / पेन कार्ड संख्या	चालक का हस्ताक्षर
1	2	3	4

संवेदक / फर्म का सील